



संस्कृत साहित्य में मानवाधिकार

डॉ.अमिता जैन

सहायक आचार्या

शिक्षा विभाग

जैन विश्वभारती संस्थान

लाडनूं, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते सामाजिक वातावरण में रहते हुए जीवन में विकास एवं उत्कर्ष के लिए प्राप्त हैं परन्तु जनसाधारण के लिए आज भी मृगतृष्णा बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज भी एक आम व्यक्ति अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। अतः आवश्यकता है आम नागरिक को इनके प्रति जागरूक करने की। संस्कृत साहित्य में मानवाधिकारों के विस्तार से चर्चा की गयी है। समाज में शांति और सद्भाव कायम रखने में मानवाधिकारों की रक्षा एक अहम् पहलू है। प्रस्तुत शोध पत्र में संस्कृत साहित्य में मानवाधिकारों की चर्चा की गयी है।

संस्कृत साहित्य में मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में यह कहा गया है- "मानव परिवार के सभी सदस्यों की सहज गरिमा तथा उनके समान एवं अपृथक्कनीय अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति का आधार है।" भारत में प्राचीनकाल में सबसे पुराने ग्रंथ 'ऋग्वेद' और उसके बाद 'अथर्ववेद' तथा कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में विभिन्न मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रच्छन्न रूप मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है-

अज्ये ठसोअकनि ठस एते।

सं भातरो वावुधुः सौभगाय।।

अर्थात् कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सभी बंधु हैं, सभी लोग सभी के हितों के लिए प्रयत्न करें तथा सभी सामूहिक रूप से प्रगति करें। इस प्रकार सभी मनुष्यों को समान एवं भाई माना है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र है- 'संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।' अर्थात् हे मानव प्राणी!

आप सभी परस्पर सहयोग से साथ-साथ रहें, मित्रतापूर्वक एक दूसरे से वार्ता करें एवं जीवन के साझे आदर्शों वाला ज्ञान प्राप्त करें।

अथर्ववेद में समानता के अधिकार को निम्न सूक्त में वर्णित किया गया है-

समानो प्रपा सह वोत्रभागः

समानो योक्त्रे सह वो युनजिम

आराः नाभिनिवाभितः।।

अर्थात् भोजन एवं जल में सभी को समान अधिकार है। जीवन-रथ का जुआ सभी के कंधों पर समान रूप से टिका है। जिस प्रकार रथ के पहिए के आरे रिम और धुरी से जुड़कर एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्यों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, 'महाभारत' में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के चार प्रकार के कर्तव्य हैं- ईश्वर के प्रति, माँ-बाप के प्रति, शिक्षकों के प्रति तथा मानवता के प्रति। धर्मकोश में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है-

